THE UTTAR PRADESH REQUISITION OF MOTOR VEHICLES (EMERGENCY POWERS) (AMENDMENT) ACT, 1970.*

(U. P. ACT NO. 26 OF 1970)

[†*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Motor Gadiyon Ko Hastgat Karne Ke Sambandh Men Asadharan Adhikaron Ka (Sanshodhan) Adhiniyam,* 1970.]

(*As passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal*)

AN

ACT

U. P. Act XXVII of 1947. *to amend the United Provinces Requisition of Motor Vehicles (Emergency Powers) Act, 1947, for the purposes hereinafter appearing.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called The Uttar Pradesh Requisition of Motor Vehicles (Emergency Powers) (Amendment) Act, 1970.

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 7, 1969.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 7, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 4, 1970.)

(Received the Assent of the President on July 8, 1970, under article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated July 10, 1970.)

Price .05 Paise

Substitution of new section for section 3 of U. P. Act XXVII of 1947.

2. *For* section 3 of the United Provinces Requisition of Motor Vehicles (Emergency Powers) Act, 1947, hereinafter referred to, as the principal Act, the following section shall be *substituted* namely :—

"3. (1) If in the opinion of the State Government it is necessary or expedient to do so for securing the defence of India and civil defence, the public safety, the efficient conduct of military operations or the maintenance of services and supplies essential to the life of the community, it may, by order in writing, requisition any motor vehicle and may make such further order as appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisition.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or to any person in possession or control of the motor vehicle, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) If the person on whom an order is served under sub-section (2) fails or omits to place the motor vehicle in possession of the authority mentioned therein, such authority may seize the motor vehicle from any person who may for the time being be in possession thereof.

(4) Where the State Government has requisitioned any vehicle under this section it shall vest in the State Government for the period of the requisition and the State Government or the authority specified in that behalf may use or deal with it in such manner as may appear to it to be expedient."

Substitution of new section for section 4.

3. *For* section 4 of the principal Act the following section shall be *substituted,* namely :—

"4. (1) Whenever any motor vehicle is requisitioned under section 3, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the District Magistrate on the basis of the rate prevailing in the locality for the hire of such vehicle after taking into account the provisions of section 4-A :

Provided that where the owner of such vehicle being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the District Magistrate for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine :

Provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle was the subject of a hire-purchase agreement, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between the hirer and the financier in such manner as they may agree upon, and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed in this behalf by the State Government may decide.

(2) The arbitrator shall be a person who is qualified for appointment as a Judge of a High Court.

(3) The award of the arbitrator under sub-section (1) shall be final.

(4) All other matters relating to arbitration under this section shall be governed by rules made under this Act, and except as provided in such rules, nothing in the Arbitration Act, 1940, shall apply to it."

Omission of Schedule.

4. The Schedule to the principal Act shall be *omitted.*

PSUP—A. P. 166 Genl. (Leg.)—1970. 1902 (M)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1970]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7, अप्रैल 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1970 ई० को बैठक में स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 13 जुलाई, 1970 ई० को स्वीकृत प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 जुलाई, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् 1947 ई० को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर 27, 1947 की धारा 3 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

2—संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट, सन् 1947 ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

"3—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि भारत की रक्षा तथा नागरिक रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, दक्षतापूर्ण सैन्य संचालन या जनजीवन के लिए आवश्यक सेवाएं और संभरण बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कोई मोटर गाड़ी हस्तगत कर सकती है तथा ऐसी अग्रेतर आज्ञा दे सकती है जो उसे हस्तगत करने के संबंध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 7 अगस्त, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

(2) हस्तगत करने का कार्य लिखित आज्ञा द्वारा किया जायगा जो उस व्यक्ति को संबोधित की जायेगी जिसे राज्य सरकार मोटर गाड़ी का मालिक समझे अथवा जिसके कब्जे या नियंत्रण में मोटर गाड़ी हो, और ऐसी आज्ञा उस व्यक्ति पर जिसे वह संबोधित हो, नियत रीति से तामील की जायेगी।

(3) यदि वह व्यक्ति जिस पर उपधारा (2) के अधीन आज्ञा तामील की जाय, आज्ञा में उल्लिखित प्राधिकारी को मोटर गाड़ी का कब्जा देने में असफल रहे या चूक करे तो ऐसा प्राधिकारी उस मोटर गाड़ी को किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे में उस समय वह गाड़ी हो, अभिगृहीत कर सकता है।

(4) यदि राज्य सरकार ने इस धारा के अधीन कोई गाड़ी हस्तगत की हो तो यह हस्तगत रहने की अवधि में राज्य सरकार के अधिकार में रहेगी और राज्य सरकार या तदर्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी उसका प्रयोग या संव्यवहार ऐसी रीति से कर सकता है जो उसे इष्टकर प्रतीत हो।"

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का रक्खा जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाए, अर्थात्—

"4—(1) जब कभी भी धारा 3 के अधीन कोई मोटर गाड़ी हस्तगत की जाय तो उसके मालिक को मुआवजा दिया जायेगा और मुआवजे की धनराशि, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा 4-क के उपबन्धों को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी गाड़ी को भाड़े पर लेने के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी गाड़ी का मालिक जो इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की धनराशि से क्षुब्ध हो, मामला किसी मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर दिये जाने के लिए नियत समय के भीतर जिला मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दे तो दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि हस्तगत करने के ठीक पूर्व, गाड़ी किसी हायर पर्चेज के मुआहिदे के अधीन हो तो हस्तगत करने के संबंध में कुल देय मुआवजे के रूप में इस उपधारा के अधीन निर्धारित धनराशि अवक्रेता (हायरर) और वित्त प्रवन्धक (फाइनेंशियर) के बीच ऐसी रीति से अविभाजित की जायेगी जिस प्रकार वे सहमत हों और सहमति न होने पर ऐसी रीति से अविभाजित की जायगी जैसा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त मध्यस्थ निश्चय करे।

(2) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन मध्यस्थता से संबंधित सभी अन्य विषय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे और सिवाय ऐसे नियमों में की गई व्यवस्था के आर्बीट्रेशन ऐक्ट, 1940 की कोई बात इस पर लागू न होगी।"

अनुसूची का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 165 जनरल (लेग०)—1970—1,884 (मे०)।